रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28 1977/ज्यष्ठ 7, 1899

No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1977/JYAISTHA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th May 1977

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts parmanent magnets falling under Item No 66 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and manufactured by any Matallurgical Research Laboratory of the Ministry of Defence, from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the conditions that—

(i) such magnets are intended for purposes of defence or of research and development, and

(ii) an officer duly authorised by the Ministry of Defence furnishes a certificate, within three months of the close of every year or within such extended period as the Assistant Collector of Central Excise may allow, that such magnets had been used for any of the purposes aforesaid

[No. F 184/2/77-CX 4]

S. N BUSI, Under Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 28 मई, 1977

सा०का०नि० 256(अ)——केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 66 के अन्तर्गत आने वाले तथा रक्षा मंत्रालय की मैटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विनिर्मित स्थायी मैगनेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, किन्तु शर्त यह है कि—

(i) ऐसे मैगनेट प्रतिरक्षा अथवा अनुसंधान तथा विकास के प्रयोजनों के लिए आशयित हों, और

(ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर अथवा बढ़ाई गई उतनी अवधि के भीतर जितनी सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र दे कि ऐसे मैगनेटों का प्रयोग पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के प्रयोजन के लिए हुआ था।

[सं० फा० 184 2 77—सी० एक्स० 4]

एस० एन० बुमी, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977